न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 285 / 2023
अनवान : –

1. शुभम पुत्र संजय जाति जाट निवासी घोटड़ा तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड स0 14 अनुपगढ़ जिला अनुपगढ़।

– सायल

बनाम्

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रामगढ़ तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

5. संजय पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी घोटड़ा तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड स0 14 अनुपगढ़ जिला अनुपगढ़।
6. इन्दु 7. बिन्दु 8. सुनील पि0 संजय जाति जाट निवासी घोटड़ा तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड स0 14 अनुपगढ़ जिला अनुपगढ़।
9. अनिल 10. धीरज पि0 ओमप्रकाश जाति जाट निवासी घोटड़ा तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड स0 14 अनुपगढ़ जिला अनुपगढ़।
11. दीपक पुत्र लोकेश 12. सरस्वती पत्नी स्व0 लोकेश जाति जाट निवासी घोटड़ा तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड स0 14 अनुपगढ़ जिला अनुपगढ़।
13. नितु 14. सुरज कुमार पि0 अशोक पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी घोटड़ा तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड स0 14 अनुपगढ़ जिला अनुपगढ़।
15. विमला देवी पत्नी शोक पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी घोटड़ा तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड स0 14 अनुपगढ़ जिला अनुपगढ़।
16. ओमप्रकाश पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी घोटड़ा तहसील भादरा हाल निवासी वार्ड स0 14 अनुपगढ़ जिला अनुपगढ़।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः 15/10/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 [illegible] की कुल 12.5430 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:51:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त वाद भूमि पूर्व में मामकोरी बेवा बहादुर मलहाण पुत्री बस्तीराम जाति कस्वां जाट साकिन कलाणा भादरा जो की सायल के पिता की नानी थी उनके कोई औलाद नही थी इसलिए उन्होने अपनी भतीजी पु0 परमेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश जो की सायल की दादी व तरतीबी गैरसायल स0 4 की माता व तरतीबी गैरसायल स0 5 व 6 की दादी व तरतीबी गैरसायल स0 7 व 8 की माता व तरतीबी गैरसायल स0 9 व 10 की दादी व गैरसायल स0 11 की सास तरतीबी गैरसायल स0 12 व 13 की दादी तरतीबी गैरसायल स0 14 की सास थी एवं तरतीबी गैरसायल स0 15 की पत्नी थी के पक्ष में वाद भूमि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के साबिका ख0न0 127 की 14 बिघा 12 बिस्वा भूमि की वसीयत बरोबरू सम्वत 2008 को परमेश्वरी परमेश्वरी ओमप्रकाश मे पक्ष मे निष्पादित करवा दी मु0 मामकोरी पत्नी बहादुर को कोई औलाद नही थी इसलिए सायल की दादी परमेश्वरी ने उनकी सेवा सुश्रुषा की। वाद भूमि की वसीयत के अनुसार सायल की दादी ख0न0 127 की 14 बिघा 12 बिस्वा खातेदार है। नोहर के गत पैमाईश भू प्रबन्धक विभाग द्वारा साबिका ख0न0 127 के हाल ख0न0 194 में तब्दील व पैमुद हो गया। साबिका ख0न0 127 की 14 बिघा 12 बिस्वा भूमि गैरसायल स0 1 के पिता मूलाराम वल्द नोपाराम को सायल की दादी परमेश्वरी की भुआ मामकोरी ने हिस्से व ठेके पर काश्त करवाई थी। मामकौरी के कोई औलाद नही थी। मुलाराम वल्द नोपराम, मामकोरी के हिस्से की फसल देता रहा लेकिन उसकी नियत में बेदयान्ती आ गयी तथा सैटलमेंट विभाग से मिली भगत करके गिरदावरी में काश्त मुला दर्ज करवाकर स्वयं को खातेदार काश्तकार दर्ज करवा लिया जबकि मूला वल्द नोपा उक्त भूमि का कभी भी खातेदार काश्तकार नही रहा। सैटलमेंट विभाग को केवल पुराना इन्द्राज की नई खतौनीयात में प्रविष्टि दर्ज की जानी थी। अप्रार्थी स0 1 पे अनुचित तरीके से उक्त वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 के नाम रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 95/96 के ख0न0 194 की 3.6920 हैक्ट भूमि में से कलमजन करवाकर सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहता है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 95/96 के ख0न0 194 की 3.6920 हैक्ट भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वादग्रस्त भूमि सम्वत 2012 से पहले से ही गैरसायल संख्या 1 के पिता मूलाराम के कब्जा काश्त में थी इसलिए गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कब्जा काश्त खातेदारी दर्ज हुई है। वादग्रस्त भूमि में सायल व तरतीबी गैरसायलान का कोई सरोकार नही है। गैरसायल स0 1 के देहांत के बाद सन 1994 से अप्रार्थी स0 1 वाद भूमि पर काबिज है। न्यायालय हाजा में सन 1992 में एक दावा सुनील बनाम मुलाराम आदि जैरकार है उसमे शुभम का ताउ वादी है दोनो [illegible] के है उस दावा में यह कथन किया गया है कि मूलाराम दावा से तीन वर्ष पूर्व [illegible] उस दावा मे यह कथन किया है कि 2004 में कब्जा कर लिया [illegible] क्लीन हेण्ड नही आये है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:51:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा की चित्रप्रति के अनुसार उक्त वाद भूमि की वसीयत मामकोरी ने परमेश्वरी के पक्ष में करवाई है। चित्रप्रति जमाबंदी सम्वत 2015 ता 18 के अनुसार उक्त वाद भूमि मामकोरी के नाम दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत 2029 ता 38 में मूला वल्द नोपाराम के नाम वाद भूमि दर्ज हुई है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि सम्वत 2012 में उक्त वाद भूमि मूला के कब्जा में थी तथा कब्जा के आधार पर मूला खातेदार हुआ लेकिन अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों की ताईद में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है। वसीयत एवं अप्रार्थी के कब्जा काश्त एवं अप्रार्थी के नाम वाद भूमि कैसे दर्ज हुई वाद में साक्ष्य सबतों के आधार पर तनकीआत कायम की जाकर तय होना है। अतः जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा खारिज की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचनास्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 95/96 के ख0न0 194 की 3.6920 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/10/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:51:41 IST
Reason: SelfAttested